न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1067 / 2020

अनवान : –

1. पवन कुमार पुत्र दयाराम जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

3. कृष्ण कुमार पुत्र दयाराम जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. चन्द्रभान पुत्र मदनलाल जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
5. राजकुमार पुत्र मदनलाल जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 ,राजस्थान
काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 19/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 10 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 33 / 33 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण स0 3 ता 5 प्रत्येक 1 / 4 हिस्सा भूमि मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की भूमि रोही मौजा चक 10 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 33 / 33 के प0न0 331 / 378 मु0न0 9 के किला न0 5 / 3 की 0.0250 हैक्ट भूमि गै0मु0 खाला दर्ज है लेकिन उक्त किला में गै0मु0 खाला नही है ना ही खाला की आवश्यकता है क्योंकि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा नया खाला स्वीकृत कर दिया गया है। इसलिए पुराना खाला की आवश्यकता नही है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में आज भी प0न0 331 / 378 मु0न0 9 के किला न0 5 / 3 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला दर्ज कर रखा है इसलिए वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स0 3 ता 5 प0न0 331 / 378 मु0न0 9 के किला न0 5 / 3 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला की भूमि को अपने नाम मुमकिन करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को काफी मर्तबा कहा कि वो रोही मौजा चक 10 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 33 / 33 के प0न0 331 / 378 मु0न0 9 के किला न0 5 / 3 की 0.0250 हैक्ट भूमि गै0मु0 खाला को मुमकिन दर्ज करवाकर एवं संशोधित कर वाद भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर देवे जिस पर प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल आजकल करते रहे बिल आखिर कार बमुकाम तहसील परिसर नोहर कर इन्कार हो गया इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:49:41 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी रोही मौजा चक 10 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0

Rahul

33/33 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण स0 3 ता 5 प्रत्येक 1/4 हिस्सा भूमि मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि के प0न0 331/378 मु0न0 9 के किला न0 5/3 की 0.0250 हैक्ट भूमि गै0मु0 खाला दर्ज है। तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई कि रोही मौजा 10 केएनएन के प0न0 331/378 मु0न0 9 के किला न0 5/3 की 0.0250 हैक्ट भूमि गै0मु0 खाला दर्ज है लेकिन वर्तमान में खाले का न तो निमार्ण किया हुआ है एव न ही खाला चालु है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई कि रोही मौजा 10 केएनएन के प0न0 331/378 मु0न0 9 के किला न0 5 में किसी प्रकार को कोई खाला नही है।

साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रोही मौजा चक 10 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 33/33 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण स0 3 ता 5 प्रत्येक 1/4 हिस्सा भूमि मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की भूमि रोही मौजा चक 10 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 33/33 के प0न0 331/378 मु0न0 9 के किला न0 5/3 की 0.0250 हैक्ट भूमि गै0मु0 खाला दर्ज है लेकिन उक्त किला में गै0मु0 खाला नही है ना ही खाला की आवश्यकता है क्योंकि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा नया खाला स्वीकृत कर दिया गया है। इसलिए पुराना खाला की आवश्यकता नही है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में आज भी प0न0 331/378 मु0न0 9 के किला न0 5/3 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला दर्ज कर रखा है इसलिए वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स0 3 ता 5 प0न0 331/378 मु0न0 9 के किला न0 5/3 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला की भूमि को अपने नाम मुमकिन करवा पाने के अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं राज्य हकों को ध्यान मे रखते हुए वाद का निस्तारण किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबंदी का अवलोकन किया वाद में प्रस्तत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 10 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 33/33 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण स0 3 ता 5 प्रत्येक 1/4 हिस्सा भूमि मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं उक्त भूमि के प0न0 331/378 के मु0न0 9 के किला न0 5/3 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला दर्ज है। वादी का कथन है कि प0न0 331/378 के मु0न0 9 के किला न0 5/3 की 0.0250 है0 गै.मु. खाला दर्ज है लेकिन मौके पर अब खाला नही है तथा ना ही खाला की आवश्यकता है क्योंकि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा सशोधित कर स्वीकृत चक स्कीम में अब अन्य जगह पर नया खाला स्वीकृत कर दिया है। इसलिए पुराने खाला की आवश्यकता नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में आज भी प0न0 331/378 के मु0न0 9 के किला न0 5/3 की 0.0250 है0 गै0मु0 खाला दर्ज कर रखा है इन किलों की भूमि को वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण ही काश्त करते है इसलिए वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी के कथनों की पुष्टि तहसीलदार नोहर एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से होती है। अधिशाषी अभिंयता जल संसाधन द्वरा द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई की रोही मौजा चक 10 केएनएन के प0न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:49:41 IST
Reason: SelfAttested

331/375 के किला न0 5 में किसी प्रकार को कोई खाला नही है तथा तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई की चक 10 केएनएन तहसील नोहर के प0न0 331/378(9) किला न0 5/3 में गै0मु0 खाला दर्ज है लेकिन मौके पर न तो खाले का निर्माण है एवं नही खालु चालु है।

गै0मु0 खाला अथवा रास्ता के बदलाव/निरस्तीकरण हेतु राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 8(1) व 8(2) में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शक्तियों तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011(1) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम राजपाल पेज न0 167, आरआरडी 1987 पेज न0 279 एवं आरआरडी 1998 पेज न0 699 के अनुसार जब कभी भी किसी कारणवंश पूर्व में निर्मित रास्ता एवं खाले को निरस्त किया जाता है तो वह रास्ता एवं खाले की भूमि उसी काश्तकार के खाते में प्रत्याहित हो जावेंगी जिसके खाते में यह कम की गई थी।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों के अवलोकन से पाया गया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चक 10 केएनएन तहसील नोहर के प0न0 331/378(9) किला न0 5/3 में गै0मु0 खाला दर्ज है। लेकिन वर्तमान में जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाला स्वीकृत नही किया गया है तथा तहसीलदार नोहर के रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाले का निर्माण नही है अब सिंचाई विभाग द्वारा खाला अन्य जगह पर स्वीकृत किया जा चुका है इसलिए वादी व तरतीबी प्रतिवादीण गै0मु0 खाला/रास्ता के लिए कम की गई भूमि को पुनः वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

तहसीलदार नोहर एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा भी रिपोर्ट प्रेषित कि गई की उक्त किलों में वर्तमान में कोई खाला नही है एवं नई चक स्कीम के अन्तर्गत भी उक्त किलों में खाता स्वीकृत भी नही है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जल संसाधन विभाग नोहर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 10 केएनएन तहसील नोहर के प0न0 331/378(9) किला न0 5/3 की 0.250 हैक्ट गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .....19/02/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:49:41 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1067/2020

अनवान : –

1. पवन कुमार पुत्र दयाराम जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

3. कृष्ण कुमार पुत्र दयाराम जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. चन्द्रभान पुत्र मदनलाल जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
5. राजकुमार पुत्र मदनलाल जाति मेघवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1067 सन 2020 निर्णय दिनांक 19/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 10 केएनएन तहसील नोहर के प0न0 331/378(9) किला न0 5/3 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:49:41 IST
Reason: SelfAttested